REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 645] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1971/पौष 9, 1893

No. 645] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1971 PAUSA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 1971

S.O. 5594.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Tenth Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, after entry 24, the following entry shall be inserted namely:—

"(24-A) in the case of Orders and other Instruments relating to the Department of Company Affairs by the Director in that Department and, in the case of orders calling for information and statistics under section 615 of the Companies Act, 1956 and section 43 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, by the Director of Research and Statistics in that Department."

[No. F. 3/5/71-Public. I.]

K. R. PRABHU,
Joint Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5594.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) दसवां संशोधन नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 के नियम 2 में, प्रविष्टि 24 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(24-क) कम्पनी कार्यकलाप विभाग से सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में उस विभाग के निदेशक द्वारा और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 615 और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 43 के अधीन जानकारी और आंकड़े मंगाने से सम्बन्धित आदेशों की दशा में उस विभाग के अनुसन्धान और सांख्यिकी निदेशक द्वारा ।"

[सं० फा० 3/5/71—पब्लिक 1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971